

(राज्य) वन वन सार्वजनिक द्वारा बना जाना है।
प्रस्तावित वन क्षेत्र का विवरण

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

जनपद चकराता में 109.00 हेक्टर वन क्षेत्र का
Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC)
along with road at Hill Side on NH - 123 (New BRT)
(Humbnagar - Nainbagh Road) from Km. 11.00 to Km. 44.00,
SH - 20 (Kalsi - Makhi Road) from Km. 6.00 to Km. 29.00,
NH - 707A (Chakrata - Lohari Road) from Km. 61.00 to Km.
93.00, (Total Km. 94.00, 0.9485 Ha.) एक सड़क मार्ग के किनारे
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्ताव

(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	तत्पश्चात् प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.9485 हेक्टेयर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.33 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.35 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि 0.00 हेक्टेयर बंजर 0.26 हेक्टेयर नागभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और पारंपरिक श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	
(ix)	तत्पश्चात् प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एल सोयम वन के समीप है।
(x)	यदि फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हा. क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव गार्डन की टिप्पणियां अनुबद्धि की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यकारी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक सूच सं 0 - पर करके है।
(xi)	यदि क्षेत्र में परम्परागत और प्रसिद्धि की वृक्षों, संकटाग्रस्त/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं (यदि हा. तो तत्संबंधी ब्योरा दें।)	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हा. तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि उपलब्ध हो दे।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यकारी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक सूच सं 0 37 पर किया है।
(xiii)	प्रयोक्ता (एनसी) द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की अप्रत्यक्षता परियोजना के लिए अप्रतिष्ठा और अनुमति है यदि नहीं तो कार्य गये विकल्पों के ब्योरा के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है। यदि प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई कार्य किया गया है तो नहीं। यदि हा. तो कार्य की अवधि, कार्य की तिथि, कार्य पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा और उससे संबंधित कार्य अभी भी चल रहा है।	इस बावत प्रस्तावक / कार्यकारी संस्था एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक सूच सं 0 37 पर किया है।
(xiv)	अनुमति प्राप्त होने तक वन क्षेत्र का उपयोग	आरक्षित वन भूमि को यदि 1.00 हे. से कम में अन्य प्रस्तावित वन क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है तो वन क्षेत्र के अंतर्गत आने पर प्रस्ताव के संलग्नक सूच सं 0 37 पर किया है।

क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	1.00 कम । अतः स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - 57-1 पर चरपा है।
वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने की टोपोग्राफिक प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकेशन मानचित्र प्रावकलन के साथ संलग्न है।
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० (रु० 1.50 लाख मात्र) का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - 57-1 पर चरपा है।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना।	हेतु रु० 2.50 लाख मात्र। (रु० 1.50 लाख मात्र) 57-1 पर चरपा है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 गण 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० 57-1 पर चरपा है।
विभाग/जिला प्रोफाइल	छकराता वन प्रभाग/जिला - देहरादून
जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 वर्ग कि०मी०
जिले का वन क्षेत्र	211691 वर्ग कि०मी०
नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल नामलों की संख्या 469 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है० है।
1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	(क) 4308.09 हैक्टेयर
(फ) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	(ख) 768.59 हैक्टेयर
(घ) वनेतर भूमि पर:-	(क) 4308.09 है० जिले के अंतर्गत प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-	(ख) 768.59 हैक्टेयर
(क) वन भूमि पर	
(घ) वनेतर भूमि पर	
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वय लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रणाली क्षेत्र की तकनीकी एवं सामान्य, तथा एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर पर सराफा की जाती है।

दिनांक 25-2018
स्थान - देहरादून

बकराता वन प्रभाग
बकराता वन प्रभाग
बकराता वन प्रभाग

हस्ताक्षर
नाम: (दीप चन्द मल्ल)
सरकारी मुहर
बकराता वन प्रभाग
बकराता वन प्रभाग